

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1979/श्रावण 16, 1901
No. 320] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1979/ SRAVANA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1979

आवेष

निर्यात व्यापार निबंधन ,

का. आ. 453(अ).—सं. इ(सी)आ, 1977/एम्/(127).—आयात-निर्यात (निबंधन)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (निबंधन) आवेष, 1977 में और आगे संशोधन करने
के लिए निम्नलिखित आवेष का निर्माण करती है, अर्थात् :-

1. इस आवेष को निर्यात (निबंधन) 40 वां संशोधन आवेष, 1979 कहा जाएगा ।

2. निर्यात (निर्यात) आवेश, 1977 में खुला सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं. 71 के सामने के कालम 4 की वर्तमान प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“निर्यात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. द्वारा अनुमित है।”

[सं. 28/24/78-ई1]

सी. वेंकटरमन, मुख्य निर्यात आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 7th August, 1979

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 453(E). No. E(C)O, 1977/AM(127).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This order may be called the Exports (Control) Fortieth Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL. 3, the existing entry in column 4 against S. No. 71 shall be substituted by the following :—

“Export allowed by the State Trading Corporation of India Ltd.”

[No. 28/24/78-EI]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports